रोजा सब्र और आत्मचिंतन का पाठ देता है

मुहम्मद अज़हर मदनी

रोजा इस्लाम के पाँच बुनियादी स्तंभों में से एक महान स्तंभ है, जिसकी अनिवार्यता कुरआन और हदीस से प्रमाणित है। हदीसों में रोजे की उपयोगिता, श्रेष्ठता और आध्यात्मिक बरकतों को अत्यंत व्यापक रूप में बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''इस्लाम की बुनियाद पाँच चीजों पर रखी गई है'' और उनमें रमजान के रोजों का भी उल्लेख किया। यह हदीस सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों में वर्णित है। इससे स्पष्ट होता है कि रोजा केवल एक नफ्ली इबादत नहीं, बल्कि दीन की बुनियादों में शामिल है। जो व्यक्ति ईमान और आत्ममंथन (एहतिसाब) के साथ रोजा रखता है, वह अल्लाह तआला की कुर्बत का पत्र बनता है।

सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में एक हदीसे कुदसी है जिसमें अल्लाह तआला फरमाता है ''रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा। बंदा अपनी इच्छाएँ और खाना-पीना मेरे लिए छोड़ देता है।'' इससे रोजे की विशिष्टता स्पष्ट होती है। अन्य इबादतों में दिखावे की संभावना हो सकती है, मगर रोजा एक ऐसी छिपी हुई इबादत है जिसका वास्तविक ज्ञान केवल अल्लाह को होता है। इसलिए उसका प्रतिफल भी अल्लाह अपनी शान के अनुसार प्रदान करता है।

रोजा इंसान के आंतरिक सुधार और तकवा और धर्मपरायणता प्राप्त करने का माध्यम है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जो व्यक्ति रोजा रखते हुए झूठ बोलना और बुरे काम करना न छोड़े, तो अल्लाह को उसके भूखा-प्यासा रहने की कोई आवश्यकता नहीं।'' इससे स्पष्ट है कि रोजे का उद्देश्य केवल भूख-प्यास सहना नहीं, बल्कि नैतिक सुधार और चरित्र की पवित्रता है। रोजा इंसान को सब्र, सहनशीलता और आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ाता है।

सहीह मुस्लिम में वर्णित है कि रोजा कयामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेगा। वह अर्ज करेगा। ''ऐ मेरे रब! मैंने इसे दिन में खाने और इच्छाओं से रोके रखा, अतः इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा।'' नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे ''रैयान'' कहा जाता है, जिससे केवल रोजेदार ही प्रवेश करेंगे। जब वे प्रवेश कर लेंगे तो वह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कोई अन्य उसमें से प्रवेश नहीं करेगा। यह विशेष सम्मान इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह के निकट रोजेदारों का दर्जा अत्यंत ऊँचा है।

रोजा गुनाहों की माफी का भी माध्यम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जो व्यक्ति ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।'' (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम) इससे स्पष्ट है कि रमजान का महीना आत्मशुद्धि और पापों से मुक्त होने का सुनहरा अवसर है, बशर्ते रोजा सच्ची नीयत और पूर्ण ईमान के साथ रखा जाए। (बाक़ी पृष्ठ....पर)

मासिक

इसलाहे समाज

फरवरी 2026 वर्ष 37 अंक 2

रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. रोज़ा सब्र और आत्मचिंतन का पाठ... 02
2. रमज़ान का सन्देश 04
3. इस्लाम धर्म पूरी मानवता की भलाई... 06
4. पवित्र क़ुरआन की विशेषताएँ 08
5. रमज़ान मुबारक की फ़ज़ीलत क़ुरआन और हदीस की रोशनी में 13
6. प्रेस रिलीज़ 15
7. ज़कात 16
8. एलाने दाख़िला 18
9. ज़कात न देने वालों का अंजाम 19
10. ईदैन के अहकाम और मसाइल 21
11. मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के के अध्यक्ष के दीनी, तालीमी दौरे 26
12. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

रमज़ान का सन्देश

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

अल्लाह तआला ने इन्सान के लिये एक मुबारक महीना अता किया है जो वास्तव में मुसलमान की ज़िन्दगी में आने से पहले इन्केलाब पैदा कर देता है इसका सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि इसके अन्दर एक जोश व जज़बा उत्पन्न होता है उसकी इन्तेज़ार की घड़ियाँ सख़्त से सख़्त होती चली जा रही हैं वह अपने रब से आसरा लगाये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह! तू हमें रमज़ान के महीने में पहुंचा दे वह रमज़ान से पहले तौबा व इस्तेग्फ़ार में व्यस्त हो जाता है क्योंकि वह रमज़ान में अपने गुनाहों की मआफ़ी अल्लाह के इन्आम और खुशी को पाने के लिये दिल व जान से तलबगार होता है।

रमज़ान का महीना रोज़ा और अन्य इबादतें करने का महीना है। इस मुबारक महीने में सवाब की निय्यत से दिन में रोज़ा रखने, रात में इबादत व तरावीह पढ़ने की बड़ी फज़ीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की निय्यत से रोज़ा रखे तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिये गये।'' (बुख़ारी)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

''जिसने रमज़ान की रात में (रातों को) ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की निय्यत से क़्याम किया तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिये गये। (सहीह बुख़ारी)

रमज़ान का महीना भाईचारा, हमदर्दी, समता, और रहमत व मग़्फ़िरत का ज़ामिन है इसमें सब्र का पाठ है। अल्लाह की खुशी, आख़िरत की कामयाबी, अपने रब के दर्शन के लिये वह दिन भर शारीरिक और आध्यात्मिक संपूर्ण रूप से डिसीपिलिन का पाबन्द हो जाता है और अपने ऊपर कन्ट्रोल रखता है इस वजह से भूखा प्यासा रहता है। गरीबों बेवाओं और भूखों के दर्द को अपने दिलके अन्दर महसूस करता है। जिस्म व जान से उनकी भूख व प्यास की शिददत को महसूस करके उनके लिये तड़पने लगता है। हर तरह की बुराइयों का ख़ात्मा हो जाता है और वह हर तरह के सदक़ा व ख़ैरात और हैसियत व सामर्थ के अनुसार खर्च करता है कि कम से कम खुश दिली से वह लोगों का दिल जीत ले और सदक़ा हासिल करने का सवाब हासिल कर ले।

यह रमज़ान का महीना पवित्र कुरआन का महीना है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमायाः

''रमज़ान का महीना वह महीना है जिस में कुरआन अवतरित

किया गया। (सूरे बक़रा-१८५)

इस महीने की शबे क़द्र मग्फिरत और बराअत वाली रात है जो हज़ार रातों से बेहतर है। इसी में कुरआन नाज़िल हुआ पूरी मानवता के मार्गदर्शन के लिये, उनके दिल और दिगाग़ को साफ करने के लिये, आख़िरत के अज़ाब से डराने और बचाने के लिये और दुनिया व आख़िरत की भलाई के लिये अब हर मुसलमान का फर्ज़ है कि वह इस पवित्र कुरआन की पूरे आदाब व शिष्टाचार के साथ तिलावत करे जैसा कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम करते थे।

पवित्र कुरआन पढ़ते समय हर क़ारी यह संकल्पना करे कि वह किस से वार्ता कर रहा है किससे बात कर रहा है, बात करने वाला उससे क्या चाहता है किन बातों के करने का आदेश दे रहा है और किन बातों से रोक रहा है क्योंकि वही अल्लाह ही हमारे नफ़ा नुक्सान को जानता है और वही इस पर अमल पैरा होने का तरीका भी बताएगा। हर हुक्म हर आयत हर घटना और हर मसला के बारे में वह ग़ौर करे कि कुरआन की तिलावत करने वाले सुनने वाले से वह क्या चाहता है? आख़िर लाखों साल बाद कुरआन जैसी पवित्र किताब में आख़िरी उम्मत और आख़िरी रसूल के लिये आदम की पैदाइश से संबन्धित बातों की तिलावत का क्या अर्थ है? अगर हम इसपर ग़ौर नहीं करते। और इससे लाभान्वित नहीं होते कि फरिश्तों ने क्या जवाब दिया और फिर इसका क्या जवाब मिला? और फ़रिश्तों ने लाजवाब होकर अपनी गलती का एतराफ कैसे किया? हमारे लिये इसमें क्या पाठ है? हमारा रब इस वाक़्ये को पढ़ा कर हमसे क्या चाहता है। आख़िरकार फ़रिश्तों ने आदम के ज्ञानात्मक वर्चस्व को जान लिया और साफ-साफ शब्दों में कहा ''ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात पाक है हमें तो सिर्फ इतना ही ज्ञान है जितना तूने हमें सिखा रखा है'' यह कह कर सफल हो गये। शैतान घमण्ड की वजह से सजदा न कर सका। क़्यास और अक़्ल की जटिलताओं में उलझ कर रह गया और वह क़्यामत तक के लिये लानत व लांछन का पात्र ठेहरा।

दुर्भाग्यवश बाज लोग रमज़ान के महीने में भी अपनी गलतियों और कोताहियों पर पश्चाताप होने के बजाये इसी तरह का बहाना तलाश करते हैं अल्लाह तआला को भूल जाते हैं जिस का कुरआन में बार बार उल्लेख हुआ है। इसलिये कुरआन पढ़ने वाले को हर किस्से, उपदेश और आदेश में यह देखना है कि कुरआन हम से क्या चाहता है और हमसे कहां कहाँ संबोधित कर रहा है? वास्तव में कुरआन का शब्द हमारे लिये सन्देश ही सन्देश और हिदायत ही हिदायत है वह हम को हमारा दर्पण दिखाता है। पुकार पुकार कर हमसे कहता है कि तुम इबलीस की तरह मत हो जाना तुम हामान की तरह मत हो जाना तुम को शैतान हज़रत आदम और हौवा अलैहिमुस्सलाम की तरह भटका न दे, चुग़ली, दिखावा, कपटाचार और बदनिय्यती जैसी घातक बीमारी तेरे अन्दर न हो।

❑❑❑

इस्लाम धर्म पूरी मानवता की भलाई चाहता है

नौशाद अहमद

इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो केवल किसी एक जाति, क्षेत्र या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस्लाम का मूल संदेश शांति, करुणा, न्याय और भाईचारे पर आधारित है। ''इस्लाम'' शब्द का अर्थ ही शांति और समर्पण हैं अर्थात ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण के माध्यम से आंतरिक और बाहरी शांति प्राप्त करना। इस्लाम का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ इंसाफ, समानता और दया का शासन हो तथा हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले।

मानव समानता और भाईचारा

इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है मानव समानता। कुरआन में बताया गया है कि समस्त मानवता एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है। इसलिए किसी व्यक्ति को उसके रंग, नस्ल, भाषा या धन के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इस्लाम यह सिखाता है कि श्रेष्ठता का आधार केवल सदाचार और ईश्वर-भक्ति है। यह सिद्धांत नस्लवाद और भेदभाव को समाप्त करने की प्रेरणा देता है।

इतिहास में हजरत मुहम्मद ने अपने विदाई उपदेश में स्पष्ट कहा कि किसी अरब को गैर-अरब पर और किसी गैर-अरब को अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, न ही किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर, श्रेष्ठता केवल धर्मपरायणता में है। यह संदेश आज भी विश्व में समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणास्रोत है।

न्याय और सामाजिक व्यवस्था

इस्लाम का एक प्रमुख स्तंभ न्याय है। इस धर्म में न्याय को इतना महत्व दिया गया है कि यदि अपने विरुद्ध भी गवाही देनी पड़े तो सत्य का साथ देने की शिक्षा दी गई है। न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, व्यापार, राजनीति और सामाजिक संबंधों में भी समान रूप से आवश्यक है।

इस्लाम में आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। जकात और सदका जैसी व्यवस्थाएँ समाज में धन के संतुलित वितरण को सुनिश्चित करती हैं। जकात एक अनिवार्य दान है जो संपन्न लोगों पर गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकार के रूप में लगाया गया है। इससे समाज में गरीबी कम होती है और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है।

करुणा और दया

कुरआन का आरंभ ही ''बिस्मिल्लाहि र्रहमानिर्रहीम'' से होता है, जिसका अर्थ हैंअल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु और दयालु है। इससे स्पष्ट होता है कि दया और करुणा इस्लाम की मूल भावना है। हजरत मुहम्मद को ''रहमतुल लिल आलमीन ''अर्थात समस्त संसार के लिए दया बताया गया है। उन्होंने न केवल मुसलमानों के प्रति, बल्कि गैर-मुस्लिमों, पशुओं और पर्यावरण के प्रति भी दया का व्यवहार करने की शिक्षा दी।

इस्लाम में पशुओं के साथ अत्याचार करना पाप है। पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटना या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना भी

अनुचित बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस्लाम केवल मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि की भलाई चाहता है।

शिक्षा और ज्ञान का महत्व

इस्लाम ने ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। कुरआन की पहली वह्य (प्रकाशना) ''इकरा'' यानी ''पढ़ो'' शब्द से आरंभ हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना हर पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है। इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इतिहास में मुस्लिम विद्वानों ने ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रीक और रोमन ग्रंथों का अनुवाद किया और नई खोजों से मानवता को लाभ पहुँचाया। यह सब इस्लाम की उस शिक्षा का परिणाम था जो ज्ञान को मानव उन्नति का साधन मानती है।

धार्मिक सहिष्णुता

इस्लाम अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की शिक्षा देता है। कुरआन में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जिस से मालूम होता है कि मुस्लिम शासकों ने अन्य धर्मों के लोगों को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान की।

इस्लाम यह सिखाता है कि सभी मनुष्य ईश्वर की सृष्टि हैं और उनके साथ न्याय और सद्भाव से व्यवहार करना चाहिए। यह विचार वैश्विक शांति और सामंजस्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पारिवारिक और सामाजिक मूल्य

इस्लाम परिवार को समाज की मूल इकाई मानता है। माता-पिता के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम में पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। यह सामाजिक समरसता और एकता को मजबूत करता है। विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है और पति-पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। इस प्रकार इस्लाम एक स्वस्थ और संतुलित समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध होता है।

विश्व शांति का संदेश

आज के समय में जब विश्व अनेक संघर्षों और विभाजनों का सामना कर रहा है, इस्लाम का शांति और भाईचारे का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। इस्लाम सिखाता है कि हिंसा और आतंक का कोई स्थान नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के समान बताया गया है।

इस्लाम का वास्तविक स्वरूप समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ लोगों के गलत कार्यों के कारण पूरे धर्म को गलत समझ लिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि इस्लाम मानवता, न्याय, करुणा और शांति का धर्म है।

सारांश यह है कि इस्लाम धर्म का मूल उद्देश्य पूरी मानवता की भलाई है। यह समानता, न्याय, दया, ज्ञान और सहिष्णुता की शिक्षा देता है। हजरत मुहम्मद का जीवन इन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। यदि इन शिक्षाओं का सही अर्थों में पालन किया जाए, तो विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित हो सकता है।

इस प्रकार इस्लाम केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन-पद्धति है जो हर युग और हर समाज के लिए मानवता की भलाई का मार्ग प्रस्तुत करती है।

पवित्र कुरआन की विशेषताएँ

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी

पवित्र कुरआन एक संपूर्ण जीवन प्रणाली है अल्लाह ने मुसलमानों को जिन विशेषताओं से सम्मानित किया उन में से एक अनमोल फज़ीलत और विशेषता यह है कि उम्मत को पवित्र कुरआन जैसी बरकत वाली किताब दी और इस किताब के एक एक शब्द और हर हर आयत को चमत्कार क़रार दिया। जिस वक़्त इस पवित्र वाणी का अवतरण होना शुरू हुआ, अरब वासियों ने इस वाणी को चुनौती देना चाहा और चन्द सरफिरे इस मुहिम को अंजाम देने के लिये तैयार भी हुए लेकिन उन्होंने मुंह की खाई। कुरआन की आयतों के समान तो दूर की बात भाषाविद और अरबीविद होने के बावजूद उसके बहुत से विषय और अर्थ को समझने से क़ासिर रहे। पवित्र कुरआन की वाग्मिता और सरलता का ही आलम था कि अरब वासी जो अपने सिवा पूरी मानवता को गूंगा बताते थे उन्होंने हज़ार रूकावटों के बावजूद जब इस वाणी (कलाम) को सुना तो उनकी बोलती बन्द हो गई वह इतना आश्चर्यकित और परेशान हुए कि इस वाणी के संबन्ध में यह खुल्लम खुल्ला कहा कि यह किसी इन्सान का कलाम नहीं हो सकता उसकी मिठास उनके दिलों में घर कर गई चुनान्चे वह रात के अंधेरों में, दीवारों की आड़ से लोगों की नज़रों से छिप कर और अन्य माध्यमों से इस ईश्वरीय वाणी की तिलावत सुनने लगे। अगर आप सीरत और इतिहास की किताब का अध्ययन करें तो आप को मालूम होगा कि जिस वक़्त पूरे अरब वासी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, कुरैश के सददारों की एक ख़ासी बड़ी तादाद रात के अंधेरों में काबा की दीवार की ओट से पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने के लिये जमा होती यह क्या चीज़ थी! अरब वासी अपनी तमाम अनर्गल बातों और विरोध के बाद भी इस वाणी को सुनने के लिये इतने तत्पर एवं उत्सुक क्यों रहते थे, क्या इससे कोई आर्थिक फायदा हासिल होता था? नहीं हर्गिज़ नहीं! बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थी कि कुरआन करीम की वाग्मिता एवं उसकी भाषा की सरलता उन्हें अपना मुग्ध बनाये हुई थी, इसका चमत्कार, संक्षेप उनको आश्चर्यचकित कर देता था, उसकी पवित्रता, हृदय ग्राहिता, सार्थकता, और उपयोगिता उसे कुबूल करने पर मजबूर कर देती थी क्योंकि एक वाणी (कलाम) की बेहतरी, वर्चस्व और सच्चाई व अच्छाई के लिये जो भी नियम हो सकते थे वह तमाम चीज़ें इस वाणी में संपूर्ण रूप से मौजूद थीं और है। बादशाहों की वाणी, वाणी का बादशाह'' की कहावत अगर दुरूस्त है तो यहां तो यह बादशाहों के बादशाह की वाणी है। रही इसकी उपयोगिता और मकसदियत का मामला तो वह एक ऐसा चमत्कार है जो समय गुज़रने के साथ और ज़्यादा स्पष्ट होता

रहेगा।

यह उन लोगों की बात थी जिनके काल को अल्लाह तआला ने ''प्रथम अज्ञानता'' क़रार दिया जिन्हें धरती का सबसे बड़ा पथभ्रष्ट बताया जिनकी नैतिक स्थिति इतनी पस्त थी कि दुनिया भर की भिन्न भिन्न की बुराइयाँ न केवल यह कि उनमें मौजूद थीं बल्कि वह इस मैदान में स्पष्ट स्थान रखते थे और गर्व के अन्दाज़ में उन्हें बयान भी करते थे लेकिन आज जबकि हम मुसलमान हैं इस पवित्र वाणी के साथ हमारा बर्ताव क्या है? क्या हम इस पवित्र वाणी का हक़ अदा करते हैं? क्या हम अपने घरों को पवित्र कुरआन की तिलावत से आबाद रखते हैं? क्या हमारे मोहल्ले, गली और आबादी से सुबह के वक़्त इस बरकत वाली किताब की तिलावत से आवाज़ आती है? या फिर हम इस पवित्र वाणी का अधिकार अदा नहीं करते? निःसन्देह हम इन सब प्रश्नों पर गौर करें और एक उचटती नज़र अपनी गली, मोहल्ले और आबादी पर डालें तो हमें मालूम हो गा कि पवित्र कुरआन के साथ मुसलमानों का बर्ताव अकहनीय है। एक मुसलमान अपने बच्चे को पवित्र कुरआन की शिक्षा देने के बजाये दीन से दूर कर देने वाली संस्थाओं और मिश्नरी स्कूलों में भेजता है। मुस्लिम गली मोहल्लों का हाल यह है कि जिन घरों से सुबह सवेरे पवित्र कुरआन की तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए थी और कल तक आती भी थी और सुबह सवेरे बच्चे गांव मोहल्लों में जाते थे और पवित्र कुरआन, कलिमा और दुआ की आवाज़ और बरकात आती थी और अख़्लाक़ व ईमान की खुश्बू फैलाती और ईमान को ताज़ा करती थी अब इन घरों में या तो लोग खरगोश की नींद के शिकार रहते हैं या मंहगे मिश्नरी और गैर इस्लामी नर्सरियों में जाते हैं जहाँ उन्हें दीन व ईमान और इस्लाम के अलावा बल्कि ख़िलाफ सब कुछ मिलता है इल्ला माशाअल्लाह। अफसोस कि इन घरों से फिल्मी गाने, इश्किया गज़ल, तथाकथित दीनी कौवालियों की आवाज़ें आती हैं जो बहुत दुखदायक है। फिर भी हमें शिकायत है कि दूसरे लोग हम पर और हमारे पवित्र स्थानों पर हमारे दीन व ईमान पर हमलावर हैं और हमें दीन से जुदा करने पर मजबूर करते हैं जबकि पवित्र कुरआन के तअल्लुक से मुसलमानों की बढ़ती गफलत अक्षम्य है क्योंकि कुरआन से ही मुसलमानों की पहचान बाक़ी है। इस्लाम और कुरआन के विरोधी अज्ञानता और नादानी में इसके खिलाफ़ प्रोपैगणडा करते नहीं थकते हैं मगर मुसलमान कौम स्वयं इससे नादानी करते हुए दूर होती जा रही है। और इससे दूर होने के तरीके और ज़्यादा हृदय विदारक हैं। अगर इस सिलसिले में उम्मत अपने पूर्वजों की तरह अपना कर्तव्य अदा करती करती और कुरआन के अधिकारों को अदा करती तो न वह विश्व समुदाय के सामने अपमानित होती न खुद दर बदरी व बेइज्ज़ती की ज़िन्दगी गुज़ारती और न अपमानित होती और न स्वंय अंतिम संन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को क्यामत के दिन अपना मुद्दई बनाती। सुनिये और गिरीबान में झाँक कर देखिये और रसूल कहेगा कि ''ऐ मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरआन को छोड़ रखा था।'' (सूरे फुरकान-३०)

वह मुअज्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमाँ होकर

और हम ख़्वार हुए तारिके कुरआँ होकर

कम से कम उम्मत पवित्र कुरआन के निम्न पाचों अधिकारों को याद रखती तो उसकी यह हालत न होती जिस हालत में वह पहुँच चुकी है। पवित्र कुरआन से रिश्ता जोड़ने से दुनिया और आख़िरत के फितना व फ़साद और ग़म व अज़ाब से छुटकारा हासिल हो गा। इसमें अल्लाह तआला और बन्दों के हक़ को पहचानने और अदा करने का हुक्म दिया गया है, रहमत व मुहब्बत की शिक्षा है। बुराई, फसाद और क़त्ल व गारतगरी से मना किया गया है, भाईचारा और अम्न व शान्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। दंगा व फ़साद, उप्रद्रव और अशान्ति से रोका गया है इसमें एक इन्सान की हत्या को पूरी मानवता का क़त्ल बताया गया है और एक इन्सान की जान बचाने को पूरी दुनिया की जान बचाने के समान क़रार दिया गया है।

१. पवित्र कुरआन पर ईमान लायें जैसा कि उसका हक़ है और अल्लाह तआला के फ़रमान का पूरी तरह से पालन करें।

२. सुबह शाम हर जगह पर इसकी तिलावत उसकी शान और इलहान के साथ (अच्छी आवाज़) में करें।

३. इसके अर्थों को समझने की अंथक कोशिश करें।

४. इसमें गौर व फिक्र करें और इसके प्रचार व प्रसार, शिक्षा, अध्ययन और सिखाने का एहतमाम करें।

५. इस पर व्यवहारिक रूप से कारबन्द हों और दूसरों को भी इसके सीधे रास्ते पर चलने का उपदेश और प्रेरणा दें तो दुनिया और आख़िरत में कामयाबी मिलेगी।

पवित्र कुरआन से संबन्धित मुसलमानों की इसी उपेक्षा को देखते हुए हदीस की किताबों से चालीस हदीसों को इस उम्मीद के साथ जमा किया जा रहा है कि हम मुसलमान इन हदीसों पर गौर करें और उनके अनुसार हम इस किताब के रिश्ते को मजबूत करें लेकिन मुनासिब मालूम होता है कि इस स्थान पर पवित्र कुरआन के शिष्टाचार को अत्यंत संक्षिप्त के साथ बयान किया जाये ताकि कुरआन को पढ़ने और तिलावत करने से पहले इस पर अमल करें कि अल्लाह की इस वाणी की महानता और शिष्टा बाक़ी रहे और वह अपनी नैतिकता और आचरण में गैरों से प्रमुख रहें अगर इसमें और कुरआन न पढ़ने वाले में फर्क़ न रहा तो फिर कुरआन का हाफिज़ होने का क्या भायदा?

पहली बात यह है कि निय्यत में इख़्लास हो, इससे सवाब की उम्मीद और अल्लाह से घनीष्ठता एवं सामीप्य मक़सद हो, उसकी तिलावत, हिफ्ज़, सीखने, सिखाने सब में सवाब की उम्मीद और अल्लाह की खुशी की प्राप्ति हो।

दूसरी बात यह है कि बावजू हो कर तिलावत करें और पढ़ें और पवित्र कुरआन की महानता व सरबुलन्दी का ख्याल हर वक़्त दिल व दिमाग़ में मौजूद रहे।

तीसरी बात यह है कि कुरआन रोजाना पढ़ता रहे। इसको दोहराने की आदत डाले ताकि इसको भूल न जाये और इसका कोई हिस्सा याद होने के बाद भूलने की नौबत न आये और रोज़ाना कुछ न कुछ हिस्सा याद करने की कोशिश करे।

चौथी बात यह है कि कुरआन की तिलावत और उसको याद करने

को दुनिया कमाने का ज़रीआ न बनायें और इससे दुनियावी गर्ज़ न हो, न आर्थिक फायदा, न पद की इच्छा और न सदारत व अगुवाई मक़सद हो और न ही अपने समकालीन लोगों पर किसी तरह का वर्त्वस्व जताना मक़सद हो, इसी तरह दिखावा और प्रशंसा का तलबगार न हो और न कुरआन की तिलावत के ज़रिये लोगों को अपनी जात व शखसीयत की तरफ मायल करे।

पांचवीं बात यह है कि पूरी कोशिश करे कि कारी व हाफिज़ पवित्र कुरआन के अख़लाक से सुसज्जित हो जैसा कि हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अख़्लाक़ कैसा था? इसके जवाब में उम्मुल मोमिनीन आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा ने फ़रमाया थाः उनका अखलाक़ कुरआन था। (मुस्नद अहमद २५८१३, मुस्नद अबू याला ४८६२ शैख अलबानी ने सहीहुल जामे ४८११ में इसे सहीह क़रार दिया है।)

छठवीं बात यह है कि इसको पढ़ने पढ़ाने के लिये उत्सुक हो, लोगों को इसकी तरफ बुलाए, प्रेरणा दिलाने और इसमें हुक्म दी गयी और मना की गई बातों और चरित्र की तरफ लोगों को ध्यान दिलाये।

सातवीं बात यह है कि कुरआन पढ़े और इसके अहकाम पर अमल करे, इसकी मना की गई और हराम की गई बातों से बचे, ऐसा न हो कि इसके शब्दों और अक्षरों को तो खूब अदा करे मगर इसके अहकाम व हुदूद को भुला दे। अबू मालिक अश्अरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत नबी का यह फरमान याद रखे। ''कुरआन तुम्हारे लिये दलील है और तुम्हारे खिलाफ भी दलील है।'' (सहीह मुस्लिमः २२३)

सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा दस आयतें याद करते और इस पर अमल पैरा होते फिर आगे बढ़ते यूं उनकी कुरआन की शिक्षा, हिफ़्ज़ और इस पर अमल का काम साथ साथ होता रहता था।

आठवीं बात यह है कि पवित्र कुरआन की तिलावत तहज्जुद में करना हर्गिज़ न भूले, चाहे जितना उपलब्ध हो उस पर कारबन्द रहे। सत्यवान पूर्वजों और सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम का यही तरीक़ा और आदर्श था। इसकी शर्तें, और तिलावत के अन्य आदाब खास तौर से शारिरिक पवित्रता और जगह एवं कपड़ों की पाकी, एकाग्रता और अऊजूबिल्लाही मिनश शैतानिर्रजीम, बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिये तिलावत की शुरूआत भी आदाब और कुरआन के अख़लाक का हिस्सा हैं।

पवित्र कुरआन की फज़ीलत, अहमियत, ज़रूरत और उसकी तिलावत और मिठास हासिल करने के लिये और यह हिदायत की हैसियत से, दिलों की शिफा, रहमत व बरकत, हर आफ़त व मुसीबत से हिफ़ाज़त, भलाई के लिये हर घर में मौजूद रहता है और एक मोमिन मर्द, औरत, बूढ़े बच्चे हर व्यक्ति की आंखों का नूर और दिलों का सुरूर है। उसकी तिलावत, गौर व फिक्र और हर मामले में उससे मार्गदर्शन और इस पर अमल करना मुसलमान के लिये ज़रूरी है। इस किताब में पवित्र कुरआन की जो फज़ीलतें बयान की गई हैं अब इसके अध ययन से अमल करने, मार्गदर्शन

तलब करने में मदद मिलेगी।

मालूम हो कि आम भाइयों के लिये जो कुरआन के इन फज़ाइल के जानने के तुरन्त बाद संबन्धित आयतों और सूरतों को पवित्र कुरआन खोल कर और इसमें ढूँढ़ कर पढ़ने से कासिर और अधिकांश बधिर होते हैं वह इन फज़ाइल को पढ़ते और सुनते ही इसी वक़्त अमल पैरा हो जायें और अपना यह वज़ीफ़ा उसी वक़्त मुकम्मल कर लें तो उनके लिये हमने सब नहीं तो कुछ ही सही छोटी सूरतों और आयतों को फज़ीलत पर आधिारित हदीसों के उल्लेख के बाद ही दर्ज कर दिये हैं ताकि आसानी हो और बरवक़्त आसानी से इसे पढ़ सकें। इस सिलसिले में अर्ज है कि अगर आप इसे अपना वज़ीफ़ा बना लें और इसके लिये हदीस में जिस वक़्त का उल्लेख है उसमें रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम करें बक़िया अपने तौर पर इसको किसी भी वक़्त पढ़ने का एहतमाम ज़रूर करें। फिर आप देखेंगे कि इसके कितने आश्चर्यजनक लाभ आप की ज़िन्दगी और आप के परिवार में ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह तआला के इस कलाम में नितांत भलाई व बरकत है इस पर सबका यक़ीन है। अगर आप इस पर बराबर अमल करते हैं तो अल्लाह तआला के विशेष इंआम से नवाज़े जायेंगे, घर बरकत से भर जायेगा, बार्बादी और वीरानी से बच जायेगा। रोशनी ही रोशनी होगी। भलाई ही भलाई होगी खुश्बू ही खुश्बू होगी इसकी मिठास से पूरा घराना लाभान्वित और प्रसन्न होगा। आइये संकल्प कीजिये कि अपने सीनों और घरों को कुरआन की तिलावत, उसको समझने समझाने, सीखने सिखाने से आबाद रखेंगे और दुनिया में बरकत और आख़िरत में कामयाब होंगे। इन्शाअल्लाह

पवित्र कुरआन के इसके अलावा भी बहुत से आदाब और चरित्र हैं इस सिलसिले में इमाम अजिरी रह० की किताब अख़्लाक़ो हमा-लतिल कुरआन और इमाम नौवी रह० की किताब आदाबो हमा लतिल कुरआन का अध्ययन लाभकारी होगा।

❑❑❑

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस **मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

रमजान मुबारक की फजीलत कुरआन और हदीस की रोशनी में

रैहाना ख़ातून

इस्लाम धर्म में रमजान मुबारक का महीना अत्यंत पवित्र, रहमतों और बरकतों से भरा हुआ माना जाता है। यह महीना मुसलमानों के लिए आत्मशुद्धि, इबादत, सब्र, त्याग और इंसानियत की सेवा का विशेष अवसर प्रदान करता है। कुरआन और हदीस में रमजान की जो महत्ता बयान की गई है, वह इस बात को स्पष्ट करती है कि यह महीना केवल रोजा रखने का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को सुधारने का प्रशिक्षण भी है।

रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवाँ महीना है, जिसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। यह महीना बंदे और उसके रब के बीच संबंध को मजबूत करने का माध्यम बनता है। इस लेख में हम रमजान की फजीलत को कुरआन और हदीस की रोशनी में विस्तार से बयान करेंगे।

कुरआन में रमजान का उल्लेख

रमजान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी महीने में पवित्र कुरआन का अवतरण (नुजूल) हुआ। अल्लाह तआला कुरआन में फरमाते हैं।

रमजान वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया, जो लोगों के लिए मार्गदर्शन है और सत्य तथा असत्य के बीच भेद करने वाला है।(सूरा कब़रा २रु१८५)

इस आयत से स्पष्ट होता है कि रमजान केवल एक कैलेंडर का महीना नहीं बल्कि दिव्य मार्गदर्शन के आगमन की याद दिलाने वाला समय है। यही कारण है कि मुसलमान इस महीने में कुरआन का अधिक से अधिक पाठ और चिंतन करते हैं।

इसी सूरह में रोजे की अनिवार्यता का आदेश दिया गया है:

''ऐ ईमान वालों! तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुममें तकवा (परहेजगारी) पैदा हो।''

(सूरह अल-बकरह २/१८३)

यह आयत बताती है कि रोजा रखने का उद्देश्य केवल भूखे-प्यासे रहना नहीं बल्कि आत्मसंयम और अल्लाह का तक़्वा प्राप्त करना है।

रमजान और रोजे की आध यात्मिक महत्ता

रोजा इंसान को आत्मानुशासन सिखाता है। जब व्यक्ति खाने-पीने जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर भी नियंत्रण रखता है, तो वह अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाना सीखता है। कुरआन के अनुसार तकवा ही इंसान की वास्तविक सफलता का मार्ग है।

रोजा इंसान को यह भी सिखाता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख और अभाव का सामना करते हैं। इससे समाज में सहानुभूति और दान की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए रमजान में सदका देने का विशेष महत्व है।

हदीस में रमजान की फजीलत

पैगम्बर मुहम्मद ने रमजान की अनेक विशेषताओं को हदीसों में बयान किया है। एक प्रसिद्ध हदीस है:

''जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए

जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है।'' (सहीह बुखारी)

इस हदीस से स्पष्ट होता है कि रमजान का वातावरण आध्यात्मिक रूप से अनुकूल बना दिया जाता है ताकि बंदे अधिक से अधिक नेकी कर सकें।

एक अन्य हदीस में रोजे का प्रतिफल बताया गया हैः

''अल्लाह तआला फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा।'' (सहीह मुस्लिम)

इससे रोजे की महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका प्रतिफल स्वयं अल्लाह के जिम्मे है।

शबे-कद्र की महानता

रमजान के अंतिम दस दिनों में एक रात ऐसी होती है जिसे शबे-कद्र कहा जाता है। कुरआन में इसका उल्लेख है।

कद्र की रात हजार महीनों से बेहतर है।

इस रात की इबादत का सवाब अत्यंत महान बताया गया है यही वजह है कि मुसलमान इस रात को तलाश करते हुए विशेष नमाज, दुआ और कुरआन पाठ में व्यस्त रहते हैं।

रमजान में सब्र और आत्मशुद्धि का महीना

हदीस में रमजान को सब्र का महीना कहा गया है। रोजा रखने वाला व्यक्ति केवल भूख-प्यास ही नहीं बल्कि गुस्सा, झूठ, बुराई और विवाद से भी बचता है। पैगम्बर ने फरमायाः

''जो व्यक्ति झूठ बोलना और बुरे काम छोड़ता नहीं, अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने की आवश्यकता नहीं।'' (सहीह बुखारी)

इसका अर्थ है कि रोजे का उद्देश्य नैतिक सुधार है।

सामाजिक और नैतिक प्रभाव

रमजान समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अमीर-गरीब सब एक साथ रोजा रखते हैं और इफ्तार में शामिल होते हैं। इससे सामाजिक दूरी कम होती है।

जकात और सदका के माध्यम से निर्धनों की सहायता की जाती है। यह इस्लाम के सामाजिक न्याय और करुणा के सिद्धांत को दर्शाता है।

स्वास्थ्य और अनुशासन के लाभ

हालाँकि रोजा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक है, लेकिन इसके शारीरिक लाभ भी हैं। नियंत्रित खान-पान से शरीर को आराम मिलता है और अनुशासन की आदत विकसित होती है। समय पर उठना, सहरी करना, नमाज पढ़ना ये सब जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं

रमजान मुबारक केवल एक ध ार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन को सुध ारने का व्यापक कार्यक्रम है। कुरआन और हदीस के अनुसार यह महीना रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। रोजा इंसान को आत्मसंयम, सहानुभूति, दानशीलता और अल्लाह के प्रति समर्पण सिखाता है।

इस महीने में की गई इबादत, कुरआन का अध्ययन, दुआ, सदकघ और नेक आचरण व्यक्ति को आध यात्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं। यदि इंसान रमजान की शिक्षाओं को पूरे वर्ष अपनाए, तो उसका जीवन शांति, संतुलन और नैतिकता से भर सकता है।

अतः रमजान वास्तव में आत्मशुद्धि, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागृति का अद्वितीय अवसर है एक ऐसा महीना जो इंसान को उसके सृजनहार के करीब लाता है और उसे बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।

❑❑❑

बाक़ी पृष्ठ २ का

रोजा जहन्नम से बचाव की ढाल भी है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है। जिस प्रकार ढाल इंसान को दुश्मन के वार से बचाती है, उसी तरह रोजा इंसान को पापों और जहन्नम की आग से सुरक्षित रखता है। यदि कोई रोजेदार को बुरा कहे या झगड़ा करे तो वह कहे ''मैं रोजेदार हूँ।'' इस शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुधार का गहरा संदेश निहित है।

सहीह मुस्लिम में यह भी वर्णित है कि आदम की संतान का हर कर्म कई गुना बढ़ा दिया जाता है, लेकिन रोजा विशेष रूप से अल्लाह के लिए है और उसका प्रतिफल बेहिसाब है। इससे अनुमान होता है कि रोजा ऐसी इबादत है जिसका बदला मानव बुद्धि से परे है। यह अल्लाह की विशेष कृपा और दया का प्रतीक है।

इसके अतिरिक्त, रोजा आध्यात्मिक शांति और हृदय की संतुष्टि का माध्यम है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियाँ हैं: एक इफ्तार के समय और दूसरी अपने रब से मिलने के समय। इफ्तार की खुशी तात्कालिक और सांसारिक है, जबकि आखिरत की खुशी स्थायी और वास्तविक है। इससे स्पष्ट है कि रोजा दुनिया और आखिरत दोनों में सफलता का माध्यम है।

इन सभी हदीसों की रोशनी में स्पष्ट होता है कि रोजा केवल एक इबादत नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली है। यह इंसान को सब्र, तकवा, निष्कपटता और सहानुभूति सिखाता है। भूख और प्यास के माध्यम से इंसान को गरीबों की स्थिति का एहसास होता है, जिससे उसके भीतर उदारता और करुणा पैदा होती है। यही कारण है कि रमजान में सदका और खैरात की अधिकता भी सुन्नत से सिद्ध है।

संक्षेप में, रोजा एक महान इबादत, गुनाहों की माफी का साधन, जन्नत में विशेष स्थान का कारण और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि मुसलमान सच्चाई, तकवा और सुन्नत के अनुसार रोजे रखें, तो वे न केवल अपनी आध्यात्मिक सुधार कर सकते हैं, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में, रोजा बंदे और उसके रब के बीच एक विशेष संबंध का प्रतीक है, जो ईमान को ताजगी देता है।

(प्रेस रिलीज़)

रमज़ानुल मुबारक१४४७ का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, १८ फ़रवरी २०२६

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ शाबानुल मुअज़्ज़म १४४७ हिजरी अर्थात १८ फ़रवरी २०२६ बुधवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जुलहिज्जा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक १९ फ़रवरी २०२६ जुमेरात के दिन रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख होगी।

ज़कात

प्रो० डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी रह०

ज़कात अरबी भाषा का शब्द है। यह एक विशेष प्रकार के दान का नाम है। इसमें बढ़ोतरी और पवित्र करने के दोनों अर्थ निहित हैं अर्थात् 'ज़कात' देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। परन्तु हम इसका एहसास नहीं कर पाते। इसी प्रकार 'ज़कात' देने से धन शुद्ध करने का एक मात्र साधन केवल 'ज़कात' है। इसी की ओर एक सहीह हदीस में संकेत करते हुए बताया गया है किः

''धन धनवानों से लेकर निर्धनों में वितरित किया जाएगा।'' (बुख़ारी, १३९५ तथा मुस्लिम,२९)

कुरआन में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दियाः

''ऐ नबी! तुम उनके मालों में से 'ज़कात' लेकर उन्हें शुद्ध एवं पवित्र कर दो, तथा उनके लिए दुआ (प्रार्थना) करो। निस्सन्देह आपकी दुआ उनके लिए सर्वथा परितोष का साधन है''। (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-१०३)

अब जबकि इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारे धनों में निर्धनों का धन भी सम्मिलित है और हमारा धन ज़कात दिए बिना शुद्ध नहीं हो सकता, तो 'ज़कात' न देने वालों के लिए मम्भीर यातना से डराया गया है। जैसा कि सहीह हदीस में आया है कि ज़कात न देने वाले की पेशानी को गर्म सलाख़ से दाग़ा जाएगा और वे पशु जो ज़कात में निकाले जाने चाहिए थे परन्तु नहीं निकाले गए, प्रलय के दिन अपने खुरों से उसे कुचलेंगे तथा अपने सींगों से उसे घायल करेंगे और ऐसा बार-बार किया जाएगा, यहां तक कि अल्लाह इस बात का निर्णय कर दे कि इनको स्वर्ग में जाना है या नरक में। (देखिए सहीह मुस्लिम, ९८७)

ज़कात चार प्रकार के धनों पर अनिवार्य है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उनपर एक वर्ष बीत गया हो।

१. सोना-चांदी तथा करेंसी (मुद्रा)

२. खेत की पैदावार

३. व्यापार का सामान

४. व्यापार के लिए पाले गऐ पशु जैसे ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि।

ज़कात के लिए कम से कम ध ान की अलग-अलग मात्रा (निसाब) निश्चित की गई है। जैसे सोने की मात्रा (निसाब) साढ़े सात तोला तथा चांदी की साढ़े बावन तोला, करेंसी नोट जो सोने या चांदी के मूल्य के बराबर हों तो उसपर ढाई प्रतिशत ज़कात अनिवार्य होगी। और अगर यह सोना-चांदी या करेंसी नोट इस मात्रा (निसाब) से कम हों तो उन पर ज़कात अनिवार्य नहीं।

खेत की पैदावार दो प्रकार की होती हैः एक वह जो वर्षा के पानी से पैदा हो। इसमें पैदावार का दसवां हिस्सा अर्थात दस प्रतिशत ज़कात बनती है, दूसरी वह जिसके लिए सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें पैदावार का बीसवाँ हिस्सा अर्थात पांच प्रतिशत ज़कात बनती है। पैदावार पर निकाली जाने वाली ज़कात को उश्र भी कहते हैं।

व्यापारिक सामान का मूल्य लगाया जाएगा और मूल्य पर ढाई प्रतिशत ज़कात दी जाएगी।

पुशओं की ज़कात का परिणाम

अलग है, जिसका विवरण हदीस की किताबों में पाया जाता है। ज़कात का हिसाब लगाने का सरल तरीका यह है कि वर्ष का कोई मास निर्धारित कर लिया जाए और फिर प्रतिवर्ष उस माल में देखा जाए कि उसके पास कितनी सम्पत्ति है। और फिर उसके हिसाब से ढाई प्रतिशत ज़कात निकाल दी जाए।

अपने प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात नहीं है। जैसे घर, सवारी, पहनने के कपड़े आदि। इसी प्रकार जमीन (प्लाट) वगैरह। परन्तु बेचने की दशा में जब धन पर एक वर्ष बीत जाए तो प्रयोग के पचशत जो ध ान बचे उस पर ज़कात दी जाएगी।

सोने-चांदी के प्रयोग में आने वाले गहनों पर ज़कात के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। परन्तु सहीह यही है कि इनपर भी ज़कात है।

ज़कात कहां ख़र्च की जाए?

कुरआन ने ज़कात को आठ प्रकार के लोगों में खर्च करने का हुक्म दिया है।

''सदके तो वास्तव में मुहताजों और निर्धनों के लिए हैं। और उन कर्मचारियों के लिए जो ज़कात इकटठा करने पर लगे हों। और उनके लिए जिनके दिल परचाए और आकृष्ट किए जा रहे हों। और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए और कर्ज़ दारों की सहायता के लिए, और अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने के लिए और यात्रियों की सहायता के लिए, यह अल्लाह का ठहराया हुआ हुक्म है अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है'' (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-६०)

ज़कात वास्तव में इस्लामी समाज में आर्थिक असमानता मिटाने का एक ऐसा साधन है जिसका उदाहरण किसी और धर्म या व्यवस्था में नहीं पाया जात। इतिहास के पन्नों में मदीना राज्य की जो घटनाएं सुरक्षित हैं, उनमें से एक यह भी है कि ज़कात देने वाले बाजारों में धन हाथ में लेकर घूमते फिरते थे, परन्तु कोई लेने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि ज़कात का एक सरकारी प्रबन्ध ा था जहां लोग अपने ज़ाहिरी माल की ज़कात 'बैतुल माल' में जमा करते थे, या स्वयं सरकार उनसे वसूल करती थी (जाहिरी माल में जानवर, व्यापार, खेत की पैदावार आदि आते हैं) और फिर बैतुल-माल से निर्धनों और मोहताजों को बांटी जाती थी। परन्तु सोने-चांदी की ज़कात मुसलमान स्वयं बांटते थे, जिसको लेने वाले नहीं मिलते थे। इस प्रकार ज़कात के सिद्धान्त ने निर्धनता को सैदव के लिए विदा कर दिया।

फिर ज़कात मनुष्य की आत्मा की शुद्धि का भी एक साधन है, क्योंकि धन का मोह सदैव आत्मा को घेरे रहता है। अब उससे छुटकारे का एकमात्र साधन ज़कात ही है, क्योंकि हर मुसलमान को ढाई प्रतिशत ज़कात तो देनी ही है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ और भी देना चाहिए। इस प्रकार ज़कात का सिद्धान्त आत्मा को शुद्ध करने और उसे विकसित करने का विशेष साधन बन जाता है।

ज़कातुल फित्र

जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है कि ज़कात का अर्थ है शुद्ध करना। ज़कातुल फित्र में भी यही अर्थ पाया जाता है। अर्थात रमज़ान के रोज़े (उपवास) में अगर कोई चूक हो गई हो तो ज़कातुलफित्र के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है।

यह ज़कात भी अनिवार्य हैं एक सहीह हदीस में आया है-

''नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आज़ाद एवं गुलाम,

फुरूष-स्त्री, छोटे-बड़े अर्थात प्रत्येक (सामर्थ्य रखने वाले) मुसलमान पर ज़कातुल फित्र अदा करना अनिवार्य किया, जिसका परिमाण है एक साअ खजूर, या एक साअ गेहूं। (बुखारी, १५०४ तथा मुस्लिम, ६८४)

परन्तु उन मुसलमानों पर ज़कातुल फित्र वाजिब नहीं जिनके पास इतना भी धन न हो कि ईद के दिन अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। यह 'साअ' एक प्राचीन पैमाना है, जिसका वर्णन युसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है। देखिए सूरा-१२, यूसुफ, आयत-७२ और जो आज के पैमाने से लगभग साढ़े तीन किलोग्राम बनता है। (अधिक जानकारी के लिए देखिए साअ) इस ज़कात को निकालने का उचित समय ईद की नमाज़ से पहले है, ताकि निर्धन लोग भी ईद के आनन्द और उल्लास में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए अगर इस ज़कात पर विचार किया जाए तो इस्लामी समाज में एकता पैदा करने का यह भी एक साधन है, ताकि धनवान तथा निर्धन दोनों ही इस्लाम के साए में मिल जुलकर जीवन व्यतीत कर सकें और यही इस्लामी शिक्षाओं का विशिष्ट उद्देश्य है।

एलाने दाख़िला

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक संस्था

अलमाहदुल आली लित तख़स्सुस फ़िद दिरासातिल इस्लामिया

में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2026 है।

नोटः- हर क्षात्र को हर महीने वज़ीफा दिया जायेगा। अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव जामिया नगर दिल्ली-110025

फोन 011-23273407

Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

ज़कात न देने वालों का अंजाम

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''जिन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से कुछ दे रखा है वह इस में कन्जूसी को अपने लिये बेहतर ख्याल न करें बल्कि वह उनके लिये अत्यन्त बदतर है, अन्क़रीब क़यामत वाले दिन यह अपनी कनजूसी की चीज़ के तौक़ डाले जाएं गे'' (सूरे आले इमरान-१८०)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया: ''और जो लोग सोने चांदी का ख़ज़ाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर पहुंचा दीजिए, जिस दिन इस ख़ज़ाने को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा फिर इससे उनकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी (उनसे कहा जाएगा) यह है जिसे तुम ने अपने लिये ख़ज़ाना बना कर रखा था, पस अपने खज़ाने का मज़ा चखो।'' (सूरे तौबा, ३४-३५)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ''जिसे अल्लाह ने माल दिया लेकिन उसने ज़कात नहीं दी तो क़यामत के दिन उसका माल जहरीले गंजे सांप की शक्ल धारण करेगा जिसकी आखों पर दो काले बिन्दु होंगे और वह इसके गले का हार होगा वह इसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं''। (बुखारी-१४०३)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ''जिस शख्स के पास भी सोना चांदी है और वह ज़कात अदा नहीं करता तो क़्यामत के दिन उसके लिये सोना चांदी के पतरे आग से बनाए जायेंगे, जहन्नम की आग में उनको गरम किया जाएगा फिर इन पतरों से उसके पहलुओं, उसकी पेशानी और उसकी कमर को दाग़ा जाएगा। पचास हज़ार साल के दिन में बन्दों में फैसले होने तक जब भी इन पतरों को (उसके बदन से) जहन्नम की जानिब फेरा जाएगा उसको उस (के जिस्म) की तरफ (निरन्तरता के साथ) लौटाने का अमल जारी रहे गा।

आप से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल ऊटों के बारे में क्या (हुक्म) है? पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो ऊंटों वाला ऊंटों की ज़कात अदा नहीं करता जबकि ऊटों के बारे में यह हक़ भी (मुस्तहब) है कि जिस दिन उनको पानी पिलाने के लिये ले जाये उनका दूध दुह कर (गरीबों और मिस्कीनों) में तक़सीम किया जाए तो जब क्यामत का दिन होगा तो ज़कात न देने वाले ऊटों के मालिक को (चेहरे के बल) ऊंटों के पामाल यानी रौंदने के लिये चटियल मैदान में गिरा दिया जाए गा ऊंट पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े और बड़ी मात्रा में होंगे उन में से कोई बच्चा भी गायब नहीं होगा फिर ऊंट अपने मालिक को अपने पावों से रौंदें गे और अपने दांतों से काटेंगे जब इस पर से पहला दस्ता गुज़र जाएगा। तो फिर इस पर से दूसरा दस्ता गुज़रे गा (यह काम उस रोज़ तक क़ाइम रहेगा) जिस की मुददत हज़ार साल के बराबर है यहां तक कि बन्दों के बीच फैसला हो जाएगा और हर शख्स अपने मक़ाम को देखेगा कि जन्नत में है या जहन्नम

में है।

पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! गाय और बकरियों के बारे में क्या (हुक्म) है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः गाय और बकरियों का जो मालिक भी इन की ज़कात अदा नहीं करता तो क़्यामत के दिन उसको उनके लिये चटियल बड़े मैदान में (मुंह के बल) गिराया जाएगा। जानवरों में से कोई जानवर गायब नहीं होगा उनमें खमदार सींगों वाला, बग़ैर सींगों वाला और टूटे हुए सींगों वाला कोई जानवर नहीं होगा। जानवर उसको सींग मारेंगे और खुरों के साथ उसे रौंदेंगे जब उस पर पहला दस्ता गुज़ार जाए गा तो उस पर आखिरी दस्ता (उस रोज़ तक लगातार) गुज़रता रहेगा जिस की मुददत पचास हज़ार साल है यहां तक कि इन्सानों के दर्मियान फैसला हो जाएगा। तो हर शख्स अपना ठिकाना देख लेगा कि जन्नत में है जा जहन्नम में है। (मुस्लिम, हदीस का आंशिक भाग-६७८ अबू दाऊद १६५८, मुसनद अहमद १६२/२ मुसनद अब्दुर्रज्ज़ाक ६८५८, इब्ने खुज़ैमा, २२५२, इब्ने हिब्बान ३२/३, बैहक़ी १८१४)

ज़कात के फर्ज़ होने की हिकमत

१. ताकि माल पवित्र और बाबर्कत हो जाए।

२. फक़ीरों और मिस्कीनों की मदद व सहयोग हो जाए।

३. इन्सान का मन बखीली व कंजूसी जैसी बुरी आदतों और गुनाहों से पवित्र हो जाए।

४. माल की नेमत की वजह से इन्सान पर जो अल्लाह का शुक्र लाज़िम आता है वह अदा हो जाए। (अल फिकहुल इस्लाम व अदिल्लतुहू ३/१७६०)

जैसा कि पवित्र कुरआन की इन दलीलों से पता चलता है।

१. ''और ज़कात अदा करो'' (सूरे बक़रा-४३)

२. ''उनके मालों से आप सदक़ा लीजिए'' (सूरे तौबा १०३१)

३. ''उस के कटाई के दिन उसका हक़ अदा करो'' यानी फल उतारने या फसलों की कटाई के वक़्त) सूरे तौबा-१४१

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसललम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को यमन की तरफ भेजते वक़्त फरमाया कि उन्हें जाकर खबर दो कि बेशक अल्लाह ने उन पर उनके मालों में सदक़ा (यानी ज़कात) को फर्ज़ क़रार दिया है।'' (बुखारी-१३६५, मुस्लिम १६, अबू दाऊद १५४८ तिर्मिज़ी २६१, नेसई २/५, इब्ने माजा १८७३ मुसनद अहमद २३३/१)

हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो को ज़कात के फर्ज़ होने से संबन्धित यह लेख भेजा ''यह ज़कात का वह फरीज़ा है जिसे अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्ल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फर्ज़ किया है और अल्लाह तआला ने जिस को अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया है'' (बुखारी, १४५४ अबू दाऊद १५६७, नेसई २४४७)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः पांच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है उनमें से एक ज़कात अदा करना भी है। (बुखारी-८)

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मैंने इन मामलों में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बैअत की कि नमाज़ काइम करूंगा, ज़कात अदा करूंगा और हर मुसलमान की खैर खुवाही करूंगा''। (बुखारी १४०१)

ज़कात के वाजिब होने पर हमेशा से मुसलमानों का इजमअ् (सर्वसम्मत) रहा है।

''फिक़हुल हदीस'' भाग १ से पृष्ठ ६६६-६६८

ईदैन के अहकाम और मसाइल

मौलाना अब्दुल वली

ओलमा के उत्तम कथन के अनुसार ईदैन की नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द पर वाजिब है। क्योंकि कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है। ''अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुरबानी की जिये'' (सूरे कौसर)

अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की पहली नमाज सन २ हिजरी में अदा की थी फिर जीवन भर इसको अदा करते रहे आपके बाद आपके खलीफा का भी यह तरीका रहा बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा बयान करती हैं कि ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम औरतों को ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा में ईदगाह ले जायें। जवान लड़कियों, हैज वाली औरतों, पर्दा वाली औरतें को भी, लेकिन हैज वाली नमाज़ से अलग रहें और मुसलमानों की दुआ में शामिल हों।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा ऐ अल्लाह के सन्देष्टा हममें से किसी के पास चादर नहीं होती, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बहन उसको अपनी चादर उढ़ा दे। (बुखारी अल ईदैन ८६०, तिर्मिज़ी अलईदैन ५३६) ईदैन की नमाज़ ईदगाह में अदा करना मसनून है। अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन ईदगाह निकलते थे ईदगाह पहुंच कर सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते थे (बुखारी अलईदैन ८८६)

ईदैन की नमाज से पहले अजान इकामत नहीं है। जाबिर बिन समुरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज़ एक दोबार नहीं बल्कि कई बार बिना अजान और इकामत के पढ़ी है। (मुस्लिम ८८७)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि ईदुल फित्र और ईदल अजहा के दिन (अल्लाह के रसूल के जमाने में) अज़ान नहीं दी जाती थी (बुखारी, अल ईदैन ९६०, मुस्लिम, सलातुल ईदैन ८८६) ईद की नमाज़ केवल दो रकात है पहले और बाद में कोई सुन्नत नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन निकले आपने दो रकात नमाज़ पढ़ाई, आपने पहले और बाद में कोई नमाज़ नहीं पढ़ी और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रजिअल्लाहो अन्हो भी थे। (बुखारी ईदैन ८८४)

ईदैन की नमाज़ दो रकात है जिसकी पहली रकात में तकबीरे तहरीमा और दुआ-ए-सना के बाद सात जायद तकबीरें कही जायें और

दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पांच जायद तकबीर कहीं जायें। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईदुल फित्र में पहली रकात में सात तकबीरें और दूसरी रकात में पांच तकबीरें हैं और केरात दोनों रकातों की तकबीरों के बाद है। (अबू दाऊद, अस्सलात ११५१ तिर्मिज़ी, अल जुमा ५३६, अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, सहीह अबू दाऊद ३१५)

नाफे रह० बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह रजिअल्लाहो अन्हो की इकतेदा में ईदुल अजहा और ईदुल फित्र अदा की तो उन्होंने पहली रकात में केरात से पहले सात तकबीरें और दूसरी रकात में केरात से पहले पांच तकबीरें कहीं (मुवत्ता इमाम मालिक अल ईदैन बाब मा जाआ फित तकबीर, वल केरात फिल ईदैन)

जब ईद और जुमा दोनों एक दिन में जमा हो जायें तो मुसलमान आम दस्तूर के अनुसार नमाज़ अदा करेंगे लेकिन उन्हें जुमा की नमाज के बारे में अधिकार हो गा कि वह चाहें तो जुमा अदा करें और चाहें तो उसमें शरीक न हों अयास बिन अबू रमला शामी बयान करते हैं कि मेरी मौजूदगी में मुआविया बिन अबू सुफियान रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने जैद बिन अरकम रजिअल्लाहो से यह सवाल किया क्या आपने अल्लाह के रसूल के साथ दो ईदों (ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा) को एक दिन में जमा होते देखा है? उन्होंने जवाब में कहा हां। मुआविया रजिअल्लाहो ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस अवसर पर क्या किया? उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और जुमा के बारे में रूखसत दी और फरमाया जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। (अबू दाऊद १०७०, दारमी १/४५६), अल्लामा अल्बानी ने इसकी सनद को सहीह कहा है। (सहीह अबू दाऊद १/१६६)

अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में दो ईद ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा एक दिन में जमा हो गयीं आप ने लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ाई फिर फरमाया जो जुमा में आना चाहे वह आये और जो न आना चाहे वह न आये। (इब्ने माजा १३१२, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखिए इब्ने माजा १/२२०)

ईदैन के दिन नहाना, खुश्बू इस्तेमाल करना मुस्तहब है। ईदैन के दिन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कोई हदीस साबित नहीं, सहाबा किराम रजिअल्लाहो तआला अन्हों का अमल है, अहले इल्म (ओलमा) की एक जमाअत के नजदीक यह गुस्ल जुमा के गुस्ल पर क्यास करते हुये मुस्तहब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन इस जुमा के दिन को अल्लाह ने मुसलमानों के लिये ईद बनाया है इसलिये जो शख्स जुमा के लिये आये, उसको चाहिये कि गुस्ल करे और अगर खुश्बू उपलब्ध हो तो उसको इस्तेमाल करे और तुम अपने ऊपर मिस्वाक को लाजिम कर लो (इब्ने माजा १०८५, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखिये सहीह सुनन इब्ने माजा १/१८१)

इमाम मालिक रह० ने नाफे से

रिवायत नकल की है अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हुमा ईदुल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे (मुवत्ता इमाम मालिक, ह० २ मुसनद शाफई १/७३ ह० ३१८ मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक ३/३०६)

अल्लामा अल्बानी फरमाते हैं कि ईदैन का गुस्ल मुस्तहब होने पर सबसे अच्छी दलील सुनन बैहकी ३/२७८ की रिवायत है कि अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कहा जुमा, अरफा, ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन गुस्ल करना चाहिये (इरवाउल गलील १/१७६ इस हदीस की सनद सहीह है)

ईद के लिये अच्छा कपड़ा पहन कर जाना मुस्तहब है।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदैन के अवसर पर खूबसूरत तरीन कपड़े पहनते थे। (जादुल मआद १/४२५)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत के अनुसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन लाल धारियों वाली चादर पहनते थे (अल मोअजमुल अवसत ७/३१६ अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, देखिये सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहा ३/२७४

सुन्नत यह है कि ईदुल फित्र में ताक खुजूरें खाकर ईदगाह निकला जाये और ईदुल अजहा में बगैर कुछ खाये निकला जाये और ईदगाह से आने के बाद अपनी कुर्बानी से कुछ खाये।

अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन ताक खुजूरें खाये बगैर नहीं निकलते थे। (बुखारी ९५३, इब्ने माजा १७५४, इब्ने खुजैमा १४२९)

बुरैदा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल अजहा के दिन नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ न खाते थे और मुस्नद अहमद में इतने शब्द ज्यादा हैं कि आप अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते थे। (तिर्मिज़ी ५४२, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है, देखिये सहीह तिर्मिज़ी १/३०२)

सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईद के लिये पैदल चल कर जाते थे और पैदल वापस आते थे। (इब्ने माजा १२९४, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा, देखिये सहीह इब्ने माजा १/२१७)

मर्दों को तकबीरात पुकारते हुये ईदगाह जाना चाहिये।

जोहरी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन तकबीर कहते रहते यहां तक कि नमाज़ अदा कर लेते, जब नमाज़ अदा कर लेते तो तकबीरें कहना बन्द कर देते (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा १/४८७) अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को सहीह कहा, सिलसिलातुल अहादी सिस्सहीहा १/३२९, ह० १७१)

औरतें भी तकबीर पुकारें लेकिन अपनी आवाज़ को पस्त रखें ताकि मर्द न सुनें।

उम्मे अतिय्या बयान करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन अपने घरों से निकलें यहां तक कि कुवांरी लड़कियों को भी बाहर निकालें और हाइजा औरतों को भी निकालें, लेकिन वह मर्दों से पीछे रहें और उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहें और उनकी दुआ के साथ दुआ करें, उस दिन की बरकत और पाकीजागी की प्राप्ति की आशा के साथ (बुखारी, ९७१, मुस्लिम अल इदैन ८९०)

ईदुल फित्र में तकबीरात कहने का वक्त शव्वाल का चांद दिखाई देने

के बाद से इमाम के खुतबा से फारिग होने तक है।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह० फरमाते हैं कि ईदुल फित्र में तकबीर की शुरूआत चांद देखने से और ईद की समाप्ति से फारिग होने पर है और ईद से फारिग होने का सहीह कथन के अनुसार तात्पर्य यह है कि इमाम खुतबा से फारिग हो जाये। (फतावा इब्ने तैमिया २४/२२१)

सुन्नत यह है कि ईदगाह एक रास्ते से जाया जाये और दूसरे रास्ते से वापस आया जाये।

जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्दो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन जाते वक्त एक रास्ते और आते वक्त दूसरे रास्ते से वापस आते थे (बुखारी ९८६)

हाफिज इब्ने हजर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के रास्ता बदल कर आने जाने की हिकमत यह बयान करते हैं ताकि इस्लामी शिक्षाओं का लोगों को इल्म हो सके, आप के लिये दोनों रास्ते गवाही दें, जिक्र इलाही को व्यक्त करने के लिये, दोनों रास्तों के लोगों को सलाम करने के लिये, लोगों को धार्मिक बातें सिखाने के लिये, सदका करने के लिये, रिश्ता नाता जोड़ने के लिये (फतहुल बारी २/५४८)

और सबसे बड़ी हिकमत जो एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा विश्वसनीय है वह यह है कि ऐसा करने में रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के तरीके का अनुसरण है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया "तुम्हारे लिये रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में बेहतरीन नमूना है"। (अल शरहुल मुमतअ ५/११७) ❑❑❑

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर

सदक़ात व खैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को देना न भूलें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हिन्दुस्तान में अहले हदीसों का नुमाइन्दा पलेटफार्म है जो अपने उददेशों व लक्ष्यों की रोशनी में योजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयासरत है। उसकी दावती, तबलीगी, तालीमी, तर्बियती, तहरीरी व सहाफती, कल्याणकारी एवं समाजी सेवाओं का एक लम्बा सिलसिला है। सेमीनार कांफ्रेन्स और प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन, तफसीर, हदीस और अहम दीनी किताबों के प्रसारण का काम पाबन्दी से हो रहा है। यह सब काम अल्लाह के फज्ल व करम के बाद अहले खैर हज़रात शुभचिंतकों उपकारकों के सहयोग से हो रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और अपने उपकारकों और मुख्लिसीन के भी जिन्होंने किसी न किसी पहलू से मर्कज़ी जमीअत के विकास में भाग लिया है और उसके योजनाओं को पूरा करने में आज भी सहयोग जारी रखे हुये हैं।

तमाम शुभचिंतकों व मुख्लिसीन से अपील है कि रमज़ान के मौके पर मर्कज़ी जमीअत के तमाम विभागों को सक्रिय रखने और उसके निमार्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जमीअत के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ भरपूर सहयोग करें। वह आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। अगर इनमें से कोई आपके पास न पहुंच सके तो कृपया अपना सहयोग मर्कज़ी जमीअत के दफतर में भेज दें अल्लाह आपकी नेकियों को कुबूल करे।

चेक या ड्राफ केवल : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

के नाम से बनवायें :A/c No.629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk, Delhi-6

अपीलः- मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

जमाअती ख़बरें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी के दीनी, तालीमी और संगठनात्मक दौरे

जमीअत अहले हदीस वाराणसी के तत्वावधान में एक दिवसीय भव्य सीरतुन्नबी कान्फ्रेंस १ दिसंबर २०२५, सोमवार को अहाता हाजी यासीन मारुती, आजाद नगर, बजरडीहा, वाराणसी में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी, अमीर मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिंद ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सीरत-ए-रसूल के अध्ययन और उसे आदर्श बनाने पर जोर देते हुए कहा कि नबी अकरम के चरित्र और आचरण को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुःखद है कि हमारी नई पीढ़ी अपने नबी की सीरत से अनभिज्ञ है, जिसके कारण वह अनेक समस्याओं का सामना कर रही है, जबकि सीरत-ए-नबवी में सामाजिक समस्याओं के अनेक समाधान मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह की प्रसन्नता के लिए समस्त मानवता की भलाई चाहना मुसलमानों के ईमान की मांग है।

१० दिसंबर २०२५ को जमीअत अहले हदीस सुपौल (बिहार) के तत्वावधान में सोलहवाँ ''मुहसिन-ए-इंसानियत कान्फ्रेंस'' बिजली चौक, जामिया सलफिया बेरिया कमाल, सुपौल में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता भी मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नबी की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है, ताकि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फैलाई गई गलतफहमियों को दूर किया जा सके। सम्मेलन में उपस्थित विद्वानों ने सदाचार का महत्व, पशुओं पर दया, शातिम-ए-रसूल का परिणाम, दुश्मनों के साथ नबी का व्यवहार, देशप्रेम, नारी, शिक्षा मनहज-ए-सलफ का परिचय, शरीअत-ए-मुहम्मदी की विशेषताएँ, सामाजिक बुराइयों के कारण और उपचार तथा इस्लाम में नारी शिक्षा के महत्व जैसे विषयों पर अपने महत्वपूर्ण उदगार प्रस्तुत किए।

वर्तमान युग में शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो राष्ट्र अविष्कारों में अग्रणी हैं, उसका मुख्य कारण शिक्षा ही है। अभिभावकों को चाहिए कि वे धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। इन विचारों का व्यक्तव्य मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने २६ दिसंबर २०२५ को

एजुकेशनल ट्रस्ट, मधुबनी-अररिया (बिहार) द्वारा आयोजित ''अजमते तालीम कान्फ्रेंस'' में किया, जो मअ्हदुस्सालिहीन कैंपस, मोहनी, अररिया में सम्पन्न हुआ। जुहर की नमाज के बाद मअ्हदुस्सालिहात, मोहनी के ज़िम्मेदारों ने उनका स्वागत किया और उन्हें तथा अन्य उलेमा को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण नसीहतें दीं। असर की नमाज के बाद माहदुस्सा लिहीन का उद्घाटन उनके और अन्य विद्वानों के हाथों सम्पन्न हुआ। इस दौरान झारखंड, बिहार और बंगाल से आए विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात और विचार-विमर्श हुआ तथा कुरआन के प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार भी वितरित किए गए।

२३, २४ और २५ दिसंबर को उन्होंने मालदा (पश्चिम बंगाल) का दौरा किया, जहाँ विभिन्न दावती और प्रशिक्षण सभाओं को संबोधित किया तथा प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ शैक्षिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। २३ दिसंबर को मदरसा परानपुर के ज़िम्मेदारों से भेंट की तथा जामिया उमर फारूक इस्लामिया, कौवामारी हरीशचंद्रपुर, मालदा में ''इल्म व अमल'' विषय पर शिक्षकों और छात्रों को प्रेरणादायक भाषण दिया।

२८ दिसंबर को गोरखपुर का दौरा हुआ। यहाँ उन्होंने जमीअत के सदस्यों से शैक्षिक, दावती और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। मौलाना हाफिज कलीमुल्लाह और भाई अब्दुर्रऊफ साहब की बेटियों का निकाह पढ़ाया तथा इस्लाम में सादगीपूर्ण विवाह और फिजूलखर्ची व गलत रस्म-रिवाजों के दुष्प्रभाव पर भाषण दिया।

३० दिसंबर २०२५ को जामे मस्जिद तहफीजुल कुरआन खरजरवा में कुरआन व हदीस का पाठ दिया और जमीअत के साथियों से मुलाकात की। जनाब वहीद साहब, कलीमुल्लाह सलफी और शफीउल्लाह आदि के साथ विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की तथा संस्थान के ज़िम्मेदारों और शिक्षकों से भेंट की।

२ जनवरी २०२६ को नागपुर और सिवनी (मध्य प्रदेश) का दौरा हुआ। नागपुर एयरपोर्ट से अलहाज वकील परवेज (नाजिमे मालियात, जमीअत अहले हदीस हिंद), हनीफ इनामदार (नाजिमे मालियात, प्रांतीय जमीअत महाराष्ट्र) और अज़्मतुल्लाह शेख (नायब नाजिम, प्रांतीय जमीअत महाराष्ट्र) की संगति में काफिला कानीवाड़ा, सिवनी के लिए रवाना हुआ। वहाँ उन्होंने जुमे का खुतबा दिया। नमाज के बाद बड़ी संख्या में उपस्थित उलेमा, ज़िम्मेदारान और आम लोगों को संबोधित किया। इसी अवसर पर ''तारीखे अहले हदीस सिवनी'' नामक पुस्तक का विमोचन उनके हाथों हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक विद्वान और सामाजिक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाद में काफिला नागपुर लौटा, जहाँ आयोजित सभा में भी उन्होंने संबोधन किया। विशेष वक्ता मौलाना अब्दुर्रहीम जामई करनाटकी थे, जबकि अध्यक्षीय भाषण अलहाज वकील परवेज ने दिया। रात्रि में तनवीर होटल में प्रांतीय और जिला पदाधिकारियों के साथ उपयोगी बैठक हुई।

❑❑❑